



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 11.05.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1- थाना मझोला पुलिस ने दो अभियुक्तों को लूट की योजना बनाते हुए किया गिरफ्तार तथा कब्जे से 01 तमंचा, कारतूस, 01 मोबाइल व 03 मोटरसाइकिल की बरामद।



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मझोला के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.05.2024 को थाना मझोला पुलिस के द्वारा चोरी / लूट की योजना बनाते हुए दो अभियुक्तगण 1. फैजान पुत्र यामिन निवासी मोती मस्जिद ईस्लामनगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद 2. राजेश उर्फ राजा पुत्र धर्मपाल उर्फ धर्मसिंह निवासी ग्राम कुराली थाना जानी जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया व एक अन्य अभियुक्त अतबिर पुत्र अजयपाल नि0 मौह0 चामुण्डा के पास

जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद मौके से फरार हो गया। अभियुक्तगण के कब्जे से तीन मोटर साइकिल व एक तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस 315 बोर व एक मोबाइल बरामद किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 408/2024 धारा 398/401/411/414/420 आईपीसी व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण 1. फैजान पुत्र यामिन निवासी मोती मस्जिद ईस्लामनगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद 2. राजेश उर्फ राजा पुत्र धर्मपाल उर्फ धर्मसिंह द्वारा पूछताछ पर बताया कि साहब हम आपस में मिलकर पैसों के लिये चोरी/लूट कर लेते हैं आज हम कहीं चोरी करने की तीनों व्यक्ति योजना बना रहे थे कि तभी पुलिस ने हम दोनों को पकड़ लिया और हमारा तीसरा साथी अतबिर पुत्र अजयपाल नि0 मौह0 चामुण्डा के पास जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद मौके से भाग गया। ये तीनों बाईक हमने अलग अलग स्थानों से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. फैजान पुत्र यामिन निवासी मोती मस्जिद ईस्लामनगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।
2. राजेश उर्फ राजा पुत्र धर्मपाल उर्फ धर्मसिंह निवासी ग्राम कुराली थाना जानी जनपद मेरठ।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता –

1. अतबिर पुत्र अजयपाल नि0 मौह0 चामुण्डा के पास जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी –

1. तीन मोटर साइकिल
2. एक तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस 315 बोर
3. एक मोबाइल

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फैजान पुत्र यामिन –

1. मु0अ0स0 408/2024 धारा 398/401/411/414/420 आईपीसी व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मझोला जनपद मुरादाबाद
2. मु0अ0सं0 399/2022 धारा 379 आईपीसी थाना बिसौली जनपद बदायूं।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजेश उर्फ राजा पुत्र धर्मपाल –

1. मु0अ0स0 408/2024 धारा 398/401/411/414/420 आईपीसी व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मझोला जनपद मुरादाबाद

2. मु0अ0स0 313/2014 धारा 147, 307,308, 352, 452, 504, 506, आईपीसी थाना जानी मेरठ
3. मु0अ0सं0 399/2022 धारा 379 आईपीसी थाना बिसौली जनपद बदायूं।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 पवन कुमार थाना मझोला, मुरादाबाद।
2. उ0नि0 ओमकार सिंह थाना मझोला, मुरादाबाद।
3. उ0नि0 मनीष कुमार थाना मझोला, मुरादाबाद
4. उ0नि0 सुशील चौधरी थाना मझोला, मुरादाबाद।
5. का0 मोहित कुमार थाना मझोला, मुरादाबाद



2- विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करके ठगी करने के 05 अभियुक्तगण को थाना कटघर पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से 64100/- रुपये नगद व फर्जी 09 आधार कार्ड व 02 अदद मोबाइल वीवो कम्पनी बरामद ।



अवगत कराना है कि दिनांक 08.05.2024 को वादी श्री वीरेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र इतवारी लाल निवासी मौ0 रामकृष्ण कालोनी म0न0 681 अम्बाला सदर अम्बाला हरियाणा ने अभियुक्तगण द्वारा धोखाधड़ी कर वादी से 04 लाख 50 हजार रुपये हडप लेने के सम्बन्ध में थाना कटघर पर तहरीर देकर मु0अ0सं0-231/2024 धारा 420,406,504,506 भादवि बनाम पूजा आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया विवेचनात्मक व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही सें जगीसना पत्नी अल्से बहेलिया निवासी ग्राम हरदुआ थाना रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश, 2. अल्से बहेलिया पुत्र कुकनिया बहेलिया निवासी ग्राम हरदुवा थाना रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश, 3. राकेश पारधी पुत्र रतनलाल पारधी निवासी ग्राम टोला बूढा ललकपुर थाना रीठी जनपद कटनी मध्यप्रदेश, 4. मुन्जुस पारधी उर्फ मजूफल पारधी पुत्र तहेल पारधी निवासी ग्राम देवगांव थाना रीठी जनपद कटनी मध्य प्रदेश, 5. इण्डियन पुत्र रामफूल निवासी देवगांव थाना रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश के नाम प्रकाश में आये ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी कटघर के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.05.2024 को थाना कटघर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त अभियोग की घटना में शामिल अभियुक्तगण 1.अभियुक्ता जगीसना पत्नी अल्से बहेलिया नि0 ग्राम हरदुआ थाना रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश, 2. अल्से बहेलिया पुत्र कुकनिया बहेलिया नि0 ग्राम हरदुवा थाना रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश, 3. राकेश पारधी पुत्र रतनलाल पारधी नि0 ग्राम टोला बूढा ललकपुर थाना रीठी जनपद कटनी मध्यप्रदेश, 4. मुन्जुस पारधी उर्फ मजूफल पारधी पुत्र तहेल पारधी नि0 ग्राम देवगावं थाना रीठी जनपद कटनी मध्यप्रदेश, 5. इण्डियन पुत्र रामफूल नि0 देवगावं थाना रीठी जिला कटनी मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से वादी मुकदमा से ठगी किये गये 64100/- रुपये नगद व फर्जी 09 आधार कार्ड व 02 अदद मोबाईल वीवो कम्पनी बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 467/468/471 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-अभियुक्ता जगीसना पत्नी अल्से बहेलिया निवासी ग्राम हरदुआ थाना रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश
- 2- अल्से बहेलिया पुत्र कुकनिया बहेलिया निवासी ग्राम हरदुवा थाना रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश
- 3- राकेश पारधी पुत्र रतनलाल पारधी निवासी ग्राम टोला बूढा ललकपुर थाना रीठी जनपद कटनी मध्यप्रदेश
- 4- मुन्जुस पारधी उर्फ मजूफल पारधी पुत्र तहेल पारधी निवासी ग्राम देवगावं थाना रीठी जनपद कटनी मध्यप्रदेश
- 5- इण्डियन पुत्र रामफूल निवासी देवगावं थाना रीठी जिला कटनी मध्यप्रदेश ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण से सामूहिक पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम सब मिलकर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर व फर्जी आधार कार्ड पर अपने फोटो लगाकर लोगो के साथ धोखाधडी कर पैसे ऐठ लेते है जगीसना ,अपने फोन से लोगो से नाम बदलकर पूजा नाम से बात करती है तथा लोगो को तरह तरह की चीजे बेचने का प्रलोभन देकर उनको अपने पास बुलाते है तथा अपने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर अपने विश्वास में लेकर लोगो को धोखा देकर उनके पैसे ऐठ लेते है तथा लोगो को धोखा देकर वहां से जगह छोडकर दूसरी जगह चले जाते है। दिनांक 08.05.24 को हमने अम्बाला से किसी पार्टी को बैंड बाजों के पुराने सामान कम दाम पर देने का प्रलोभन देकर व गोल्ड भी कम दाम पर देने का प्रलोभन देकर यहां मुरादाबाद में बुलाया था तथा इन लोगो से पहले जगीसना, पूजा बनकर मिली थी तथा जगीसना ने ही अपने फोन पर वार्ता कर अम्बाला वाली पार्टी को रामगंगा पुल के पास खेतो में बुलाया था तथा जगीसना ने अपना फर्जी पूजा नाम वाला आधार कार्ड दिखाकर अम्बाला से आये लोगो को अपने विश्वास में लेकर हमारे पास ले आयी जहां इन लोगो से हम ने करीब 1 लाख रुपये धोखाधडी देकर

ऐठ लिए। उन लोगो को एहसास हो गया की उनके साथ धोखाधडी हो गयी है फिर वह लोग हमसे पैसे मांगने लगे तो हम लोगो की आपस में गाली गलौच हो गयी हम लोगो ने उन लोगो को डराने के लिए धमकी भी दी लेकिन वह लोग हमारे सिर हो गये फिर हम पांचो लोग अपने आप को फंसता देख मौके से भाग गये थे अम्बाला से आयी पार्टी से ऐठे गये पैसे में से हमारे पास 64100/- रुपये बचे है बाकी हमारे खाने पीने रहने में खर्च हो गये आज हम इन पैसो का बटवारा कर किसी दूसरे पार्टी को फंसाने के चक्कर में घूम रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया ।

बरामदगी:-

वादी से ठगे/धोखाधडी कर ऐठे गये 64100/- रुपये नगद व 09 आधार कार्ड अलग अलग पते के व 02 अदद मोबाईल वीवो कम्पनी (जिनमें से एक मोबाईल वीवो Y21A घटना में अभियुक्ता जगीसना द्वारा पूजा बनकर प्रयुक्त किया गया)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

नोट:- अभियुक्तगण गैर राज्य के होने के कारण आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- प्रभारी निरीक्षक तेजवीर सिंह थाना कटघर जनपद मुरादाबाद
- 2-व0उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद
- 3-उ0नि0 अमित कुमार एस0ओ0जी0 टीम जनपद मुरादाबाद
- 4-उ0नि0 श्री ओम शुक्ला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद
- 5- SIUT राहुल कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद
- 6-SIUT कृष्णा कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद
- 7-LSIUT सोनम थाना कटघर जनपद मुरादाबाद